

नोट : हिंदी अनुवाद /पाठ में किसी प्रकार का विवाद उठने पर या गलती से कोई भाग नहीं मिलने पर अंग्रेजी पाठ की सामग्री को अंतिम माना जाएगा।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

बेलापुर भवन, सेक्टर - 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614

दूरभाष :- (022) 27572015 – 18 फैक्स नंबर (022) 27579756

ईओआई जारी करने की तिथि: 23/08/2024

जमा करने की अंतिम तिथि: 23/09/2024 @15:00 बजे।

परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता फर्मों/कार्यान्वयन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

विभिन्न नई परियोजनाओं के लिए कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ प्रोजेक्ट पार्टनर के रूप में जुड़ने के लिए "रुचि की अभिव्यक्ति" का निमंत्रण।

1.0 सामान्य:

1.1 कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल), भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय सीबीडी बेलापुर भवन, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई -400614 में है, भारत ने 739 किलोमीटर का निर्माण किया है भारत के पश्चिमी तट के साथ लंबी कोंकण रेलवे लाइन और वर्ष 1998 से लाइन पर ट्रेन सेवाएं संचालित कर रही है। केआरसीएल रेल मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है, जिसे भारत सरकार (51%) की इक्विटी भागीदारी के साथ स्थापित किया गया है। पश्चिमी तट रेलवे लाइन के निर्माण और संचालन के लिए चार राज्य सरकारों - महाराष्ट्र (22%), गोवा (6%), कर्नाटक (15%) और केरल (6%) के साथ।

1.2 केआरसीएल भारत और विदेशों में बुनिया

दी ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लगा हुआ है। केआरसीएल वर्तमान में जिन महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहा है वे हैं:

- (i) जम्मू और कश्मीर में उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा-धरम खंड में नई बीजी रेल लाइन का निर्माण।
- (ii) कुडगी कर्नाटक में एनटीपीसी रेलवे साइडिंग का निर्माण।
- (iii) एनटीपीसी गाडरवारा एसटीपीपी, चरण-I के लिए संबद्ध विद्युत, सिग्नलिंग और दूरसंचार कार्यों सहित कोयला परिवहन प्रणाली का निर्माण।
- (iv) विज़िंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तक रेल कनेक्टिविटी।
- (v) केरल के वायनाड में अनाकम्पोयिल-कल्लादी-मेप्पादी सुरंग रोड।
- (vi) उत्तर रेलवे और उत्तर पश्चिम रेलवे पर सिग्नलिंग और दूरसंचार परियोजनाएं।

अद्यतन 28 मार्च 2025

1.3 इसके अलावा, केआरसीएल सक्रिय रूप से देश भर में अपने पदचिह्नों का विस्तार करना चाह रहा है।

1.4 केआरसीएल निम्नलिखित से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है:

(i) रेलवे, महानगरों में सिग्नलिंग और टेलीकॉम परियोजनाओं की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में परामर्श प्रदान करने में शामिल कंसल्टेंसी फर्म और संगठन

(ii) रेलवे, महानगरों में सिग्नलिंग और टेलीकॉम के विभिन्न क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए बिजनेस एसोसिएट्स के रूप में सहयोग के लिए निर्माण कंपनियों/संगठन

2.0 रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई):

2.1 सिद्ध वित्तीय स्थिति और अपने संबंधित क्षेत्रों में अनुभव रखने वाली अनुभवी और प्रतिष्ठित कंपनियों/फर्मों से "रुचि की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जाती है।

- "रुचि की अभिव्यक्ति" की प्रतिक्रिया के आधार पर, केआरसीएल आवेदकों की विशेषज्ञता के क्षेत्र में फर्मों/कंपनियों को शॉर्ट-लिस्ट करेगा।
- पहचाने गए प्रत्येक प्रोजेक्ट/व्यवसाय के लिए, केआरसीएल परियोजना/व्यवसाय की आगे की खोज के लिए पहचानी गई परियोजना के लिए केआरसीएल के साथ संयुक्त रूप से पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली लघु-सूचीबद्ध फर्मों/कंपनियों में से सबसे उपयुक्त, इच्छुक फर्म/कंपनी के साथ सहयोग करेगा।
- यदि किसी परियोजना के लिए एक से अधिक इच्छुक, उपयुक्त फर्म/कंपनियां हैं, तो केआरसीएल सबसे उपयुक्त फर्म/कंपनी की पहचान के लिए प्रतिस्पर्धी बोली या किसी अन्य उपयुक्त मानदंड को अपनाएगा।
- बाद में सफल बोलीदाताओं के साथ प्रत्येक परियोजना के लिए विशिष्ट समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ये डोमेन हैं:

(i) डोमेन-1-प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी में बिजनेस एसोसिएट - रेलवे, मेट्रो आदि में विभिन्न सिग्नलिंग और टेलीकॉम से संबंधित परियोजनाओं के लिए पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में।

(ii) डोमेन-2-प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में बिजनेस एसोसिएट - रेलवे, मेट्रो आदि में विभिन्न सिग्नलिंग और टेलीकॉम से संबंधित परियोजनाओं के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी लेने में।

(iii) डोमेन-3-प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में बिजनेस एसोसिएट - रेलवे, मेट्रो आदि में विभिन्न सिग्नलिंग और टेलीकॉम से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय विश्लेषण, वित्त संरचना और प्रोजेक्ट फंडिंग करने में।

(iv) डोमेन-4-बिजनेस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कार्यान्वयन- विस्तृत डिजाइन परामर्श और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) - रेलवे, मेट्रो आदि के यार्डों/साइडिंग्स में पुनः डिजाइन/परिवर्तन, छोटे/बड़े ईआई परिवर्तन सहित विभिन्न सिग्नलिंग (इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग) प्रणालियों में निष्पादन के दौरान प्रारंभिक डिजाइन, विस्तृत डिजाइन और साइट पर्यवेक्षण करना।

(v) डोमेन-5-बिजनेस एसोसिएट सिग्नलिंग परियोजना कार्यान्वयन - विभिन्न सिग्नलिंग कार्यों के लिए विस्तृत डिजाइन परामर्श, निष्पादन और साइट पर्यवेक्षण - (पीआई/आरआरआई स्थापना, पीआई/आरआरआई से ईआई रूपांतरण, स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग, एमएसडीएसी, बीपीएसी, टीसीएस, टीसीएस, टीसीएस)

टीपीडब्ल्यूएस) , रेलवे और मेट्रो में विभिन्न सिग्नलिंग कार्यों/परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान प्रारंभिक डिजाइन, विस्तृत डिजाइन या प्रूफ-चेक, निष्पादन और साइट पर्यवेक्षण में डबल डिस्टेंस प्रावधान, आईबीएस, आईबीएच, एलसी-गेट्स की इंटरलॉकिंग आदि।

(vi) डोमेन-6-बिजनेस एसोसिएट टेलीकॉम प्रोजेक्ट कार्यान्वयन - विभिन्न टेलीकॉम कार्यों के लिए विस्तृत डिजाइन परामर्श, निष्पादन और साइट पर्यवेक्षण - (ओएफसी/क्वाड कार्य, एमपीएलएस, आईपी आधारित सिस्टम और टेलीकॉम से संबंधित उन्नयन कार्य आदि, प्रारंभिक कार्य करने में) रेलवे और महानगरों में विभिन्न दूरसंचार कार्यों/परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान डिजाइन, विस्तृत डिजाइन या प्रूफ-जांच, निष्पादन और साइट पर्यवेक्षण।

(vii) डोमेन-7-बिजनेस एसोसिएट नई दूरसंचार परियोजना कार्यान्वयन - विभिन्न दूरसंचार कार्यों के लिए विस्तृत डिजाइन परामर्श, निष्पादन और साइट पर्यवेक्षण - (सीबीटीसी, वीएचएफ, एलटीई, टीईटीआरए,आईपी आधारित वीओआइपी सिस्टम, सुरंग संचार कार्य आदि, लेने में) रेलवे और महानगरों में विभिन्न दूरसंचार कार्यों/परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान प्रारंभिक डिजाइन, विस्तृत डिजाइन या प्रूफ-जांच, निष्पादन और साइट पर्यवेक्षण।

(viii) डोमेन-8-बिजनेस एसोसिएट - ओईएम - आपूर्ति, वार्षिक दर अनुबंध, मरम्मत अनुबंध, एएमसी, सीएमसी इत्यादि के लिए, निम्नलिखित की साइट पर डिजाइन, निरीक्षण, कमीशनिंग, पर्यवेक्षण और निष्पादन सहित उनके सिस्टम के लिए
ए) इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई) प्रणाली
बी) एमएसडीएसी प्रणाली
सी) आरडीपीएमएस प्रणाली
डी) हैसडैक
ई) कवच

2.2 उपरोक्त उल्लिखित किसी भी डोमेन में ईओआई में भागीदारी और/या शॉर्टलिस्टिंग किसी भी परियोजना पर सहयोग करने के लिए सहमत होने के लिए किसी भी पक्ष की ओर से कोई कानूनी दायित्व नहीं बनाती है।

2.3 कंपनी/फर्म की शॉर्ट लिस्टिंग केआरसीएल द्वारा शॉर्ट लिस्टिंग की सूचना की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए वैध होगी।

3.0 सफल/शॉर्टलिस्टेड कंपनियों/फर्मों को निम्नलिखित सुनिश्चित करना आवश्यक है

ए) कंपनियां/फर्म सर्वेक्षण जैसी पूर्व-निविदा गतिविधियों के लिए सहयोग करेंगी।

अनुमान और तैयारी के लिए केआरसीएल को आवश्यक कोई अन्य सहायता तकनीकी-आर्थिक लागत।

बी) सम्मानित स्थलों पर संबंधित कार्य को चालू करने, उनकी स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और साइट पर अपेक्षित प्रशिक्षण के लिए आवश्यक संपूर्ण सामग्री की डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, आपूर्ति और शिपमेंट।

सी) कमीशनिंग के बाद वारंटी और रखरखाव सहायता प्रदान करें

डी) सामग्री/उपकरणों की खरीद और वितरण की योजना बनाई जानी है इस तरह से निर्धारित किया गया है कि सामग्री/उपकरण वितरित किए जाएं एक बार साइटें इंस्टालेशन के लिए तैयार हो जाएं तो तुरंत संबंधित साइटें परियोजना को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए उपकरणों को चालू करना

और वारंटी अवधि न खोएं।

4.0 पात्रता के लिए दस्तावेज:

4.1 कंपनियों/फर्मों को सबूत के तौर पर दस्तावेज जमा करने होंगे:

ए) पिछले 07 (सात) वर्षों के दौरान भारत में सफलतापूर्वक काम पूरा करने का, जिस महीने ईओआई जमा किया गया है, उससे पहले महीने का अंतिम दिन समाप्त हुआ।

बी) पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी/फर्म का टर्नओवर।

4.2 कंपनियां/फर्म अपनी साख के समर्थन में संबंधित ग्राहकों द्वारा जारी किए गए दस्तावेजी प्रमाण (मूल या नोटरीकृत) प्रस्तुत करेंगी। केआरसीएल के पास पूरी की गई परियोजनाओं के मूल्य और पास मौजूद अनुभवी के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए मानदंड तय करने का अधिकार सुरक्षित है।

4.0 संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि:

ए) शॉर्टलिस्टेड बिजनेस एसोसिएट इस ईओआई के बाहर सीधे अपने माध्यम से कोई भी लेनदेन कर लिए कोई भी बोली/भागीदारी/लेन-देन केवल केआरसीएल के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा।

बी) किसी भी व्यावसायिक सहयोगी के साथ संयुक्त रूप से पहचान नहीं की गई परियोजनाओं के लिए, केआरसीएल इस ईओआई के बाहर स्वयं या अपने समूह के माध्यम से सीधे कोई भी लेनदेन कर सकता है।

सी) हालाँकि, निम्नलिखित के संबंध में, कोई भी पक्ष व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य तृतीय पक्ष इकाई के साथ मिलकर किसी भी परियोजना या निवेश अवसर को संशोधनों के साथ या उसके बिना आगे तलाशने और/या लागू करने के लिए आगे नहीं बढ़ेगा:

- जिसे पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से पहचाना गया है और/या संयुक्त रूप से अन्वेषण करने पर सहमति व्यक्त की गई है, या
- जिसे एक पक्ष द्वारा पहचाना गया है और दूसरे पक्ष को पेश किया गया है और पार्टियों द्वारा संयुक्त रूप से आगे की खोज के लिए सहमति व्यक्त की गई है, या
- जिसे किसी तीसरे पक्ष की इकाई, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, द्वारा संयुक्त अन्वेषण और/या कार्यान्वयन के लिए पार्टियों को प्रदान किया गया है या देने पर विचार किया जा रहा है।

जब तक:

- पार्टियां उक्त अवसर को ईओआई के दायरे से बाहर रखने और लेने के लिए लिखित रूप में सहमत हैं।
- एक पक्ष (नॉन-पीछा करने वाला पक्ष) दूसरे पक्ष को इस ईओ के दायरे से बाहर, व्यक्तिगत रूप से या अपनी लागत और व्यय पर किसी अन्य इकाई के साथ मिलकर उक्त अवसर को आगे बढ़ाने और आगे बढ़ाने के लिए लिखित रूप में अपनी सहमति देता है।

5.0 ईओआई प्रस्तुत करना: इच्छुक कंपनियों/फर्मों से अनुरोध है कि वे समान कार्यों को निष्पादित करने के पिछले अनुभव सहित अपनी साख जमा करें। कंपनी/फर्म की वित्तीय स्थिति, कंपनी/फर्म आदि के पास उपलब्ध संगठनात्मक सेटअप, संलग्न प्रारूप में ताकि प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर/केआरसीएल, 6वीं मंजिल, बेलापुर भवन, प्लॉट नंबर 6, सेक्टर 11, सीबीडी तक पहुंच सके। बेलापुर, नवी मुंबई-400614, भारत, टेलीफोन- +91-22-27587370 23.09.2024 के 15:00 बजे से पहले। हालाँकि, शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया एक गतिशील प्रक्रिया होगी और यदि आवश्यक हो तो वार्षिक आधार पर समय-समय पर सूची को संशोधित किया जाएगा।

केआरसीएल अपने पूर्ण विवेक के आधार पर रुचि की अभिव्यक्ति के तहत कंपनी/फर्म से प्राप्त प्रस्तावों पर आगे बढ़ने या न आगे बढ़ने और कंपनी/फर्म को संबंधित श्रेणियों में वर्गीकृत करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, कंपनी/फर्म उपरोक्त पते पर प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर/केआरसीएल के कार्यालय से संपर्क कर सकती है।

6.0 प्रोसेसिंग शुल्क:

6.1 15,000/- रुपये (केवल पंद्रह हजार रुपये) का गैर-वापसी योग्य प्रसंस्करण शुल्क एफए एंड सीएओ, केआरसीएल के पक्ष में मुंबई / नवी मुंबई, भारत में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ईओआई दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा।

7.0 चूंकि उपरोक्त प्रक्रिया गतिशील है, इसलिए सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाएगा। इच्छुक कंपनियां/फर्म उपरोक्त पैरा 6.0 में दिए गए दस्तावेजों और अपेक्षित शुल्क के साथ अपनी रुचि की अभिव्यक्ति जमा कर सकती हैं, जब भी कंपनी/फर्म की रुचि हो और वे खुद को पात्र समझें।

प्रारूप

अद्यतन 28 मार्च 2025

विभिन्न परियोजनाओं के लिए कॉकण रेलवे के साथ बिजनेस एसोसिएट्स के रूप में जुड़ने के लिए "रुचि की अभिव्यक्ति"।

1. फर्म/कंपनी का नाम
2. प्रतिवादी का वर्तमान पता:
 - ए) प्रधान कार्यालय

बी) निकटतम कार्यालय

3. कंपनी/फर्म के निगमन का स्थान और वर्ष (फर्म के निगमन/पंजीकरण के प्रमाण पत्र की प्रति, साझेदारी विलेख (यदि कोई हो), एसोसिएशन के ज्ञापन और लेख और निदेशकों की सूची और उनके निदेशक की पहचान संख्या और फोन नंबर संलग्न करें।)
4. होल्डिंग्स, सहायक कंपनियों या संबद्ध कंपनियों का विवरण
5. कंपनी/फर्म का विवरण, वर्तमान व्यावसायिक गतिविधियाँ।
6. पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर टर्नओवर, परिसंपत्तियों और देनदारियों का सारांश। (2021-22, 2022-23 और 2023-24)।
7. पिछले सात वर्षों में पूरी की गई प्रासंगिक परियोजनाएं, प्रत्येक परियोजना के लिए प्राप्त भुगतान के साथ।
8. प्रासंगिक चालू परियोजनाएं, प्राप्त भुगतान के सभी विवरणों के साथ।

प्रतिवादी का नाम (एस)

हस्ताक्षर

संलग्नकों की सूची

(i)

(ii)